न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 916/2022

अनवान : –

1. राजेश कुमार पुत्र बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. भजनलाल पुत्र बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. रमेश कुमार पुत्र जगराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. धर्मपाल पुत्र जगराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. सरजीत पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
5. आत्माराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
6. प्रहलाद पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 07/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 73/69 की कुल 20.1060है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी की दादी मृतका चावली पत्नी श्योराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी की दादी चावली पत्नी श्योराम ने दिनांक 07.01.2006 को अपने जीवनकाल में राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज भूमि की वसीयत की थी जिसके अनुसार वसीयतकर्ता चावली जब तक जीवित रहेगी तब तक मालिक रहेगी और उसकी मृत्यु के बाद मुताबिक वसीयतनामा भूमि उसके पौत्रों यानी वादी एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 व 3 को बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 ता 6 को बहिब 1/3 हिस्सा भूमि प्राप्त होगी तथा सभी पौत्र मुताबिक वसीयत भूमि अपने अपने नाम दर्ज करवा सकेंगे।

वसीयतकर्ता की यह प्रथम व अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता चावली पत्नी श्योराम ने होश हवास के साथ दो गवाहन बिरबलराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर व मनीराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर अंगुठा किया था तथा वसीयत पर गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है तथा वसीयत पर सहमती के लिए तीनों पुत्रों जगरा[illegible]लाल, व बलवन्त सिंह पि0 श्योराम उर्फ श्रीराम ने अपने हस्ताक्षर किये थे तथा [illegible] पब्लिक एम.सी. बाकोलिया नोहर से तस्दीक शुदा है। वसीयत भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद [illegible]। चावली पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:51:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

श्योराम के देहान्त के बाद वसीयत भूमि पर वसीयतग्रहणकर्ता मुताबिक वसीयत काबिज है। वादी मुताबिक वसीयत न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा कि जावें की उक्त वाद भूमि का मुताबिक वसीयत वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया। प्रतिवादी स0 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहन श्री बीरबलराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी गोरखाना व मनीराम पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी लाखासर ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये है। वसीयतकर्ता का देहांत हो चुका है एवं उक्त वाद भूमि बाबत कोई विवाद नही है तथा वसीयतकर्ता के देहांत के बाद वाद भूमि पर वसीयतग्रहिता काबिज है। वसीयत के संबंध में बलवंत सिंह, जगराम, अमीलाल पुत्रगण श्योराम ने शपथ पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा डुमासर खाता स0 73/69 सम्वत 2076–79, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र चावली देवी, चित्रप्रति वसीयतनामा दिनांक 07.01.2006 बहक चावली पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की दादी मृतका चावली पत्नी श्योराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी की दादी चावली पत्नी श्योराम ने दिनांक 07.01.2006 को अपने जीवनकाल में राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज भूमि की वसीयत की थी जिसके अनुसार वसीयतकर्ता चावली जब तक जीवित रहेगी तब तक मालिक रहेगी और उसकी मृत्यु के बाद मुताबिक वसीयतनामा भूमि उसके पौत्रों यानी वादी एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 व 3 को बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 ता 6 को बहिब 1/3 हिस्सा भूमि प्राप्त होगी तथा सभी पौत्र मुताबिक वसीयत भूमि अपने अपने नाम दर्ज करवा सकेंगे। वसीयतकर्ता चावली पत्नी श्योराम ने अपने होश हवास के साथ दो गवाह बीरबलराम पुत्र पदमाराम व मनीराम पुत्र राजुराम की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर वसीयतकर्ता ने अपने अंगूठा निशान दर्ज किये थे तथा वसीयत नोटरी पब्लिक एम.सी. बांकोलिया, नोहर से दिनांक 07.01.2006 को तस्दीक हुई। उपरोक्त वसीयत भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:51:19 IST
Reason: SelfAttested

व स्थगन आदि नहीं है तथा चावली पत्नी श्योराम के देहान्त के बाद वसीयत भूमि पर वसीयतग्रहणकर्ता मुताबिक वसीयत काबिज है। वादी मुताबिक वसीयत न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 73/69 की कुल 20.1060है0 भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी की दादी मृतका चावली पत्नी श्योराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक वसीयत चावली पत्नी श्योराम द्वारा दिनांक 07.01.2066 को एक वसीयत अपने पौत्रों यानी वादी एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 व 3 को बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 ता 6 को बहिब 1/3 हिस्सा भूमि की वसीयत तहरीर करवाई गई है। वसीयत के गवाहान श्री बीरबलराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी गोरखाना व मनीराम पुत्र राजुराम जाति जाट निवासी लाखासर द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये है। वसीयतकर्ता का देहांत हो चुका है एवं उक्त वाद भूमि बाबत कोई विवाद नही है तथा वसीयतकर्ता के देहांत के बाद वाद भूमि पर वसीयतग्रहिता काबिज है। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार चावली का देहांत हो चुका है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 73/69 के ख0न0 316 की 11.697 हैक्ट, ख0न0 317 की 8.0930 हैक्ट, 330 की 0.3160 हैक्ट कुल 20.1060 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि में मृतका चावली पत्नी श्योराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब व 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब तथा 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:51:19 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 916/2022

अनवान : –

1. राजेश कुमार पुत्र बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. भजनलाल पुत्र बलवन्त सिंह जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. रमेश कुमार पुत्र जगराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. धर्मपाल पुत्र जगराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. सरजीत पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
5. आत्माराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
6. प्रहलाद पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 916 सन 2022 निर्णय दिनांक 07/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डुमासर तहसील नोहर के खाता स0 73/69 के ख0न0 316 की 11.697 हैक्ट, ख0न0 317 की 8.0930 हैक्ट, 330 की 0.3160 हैक्ट कुल 20.1060 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि में मृतका चावली पत्नी श्योराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब व 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब तथा 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/1/2025 कों मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:51:19 IST
Reason: SelfAttested